भाषा – अर्थ व प्रकृति

भाषा और समाज

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे बहुत से क्रियाकलाप करने होते हैं। इन सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए उसे अपने विचार व्यक्त करने होते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करने होते हैं। इसके लिए उसे साधनों की आवश्यकता अनुभव होती है, जिसका वह सहजता व सरलता से प्रयोग कर सके। कुछ साधन भाषा द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्राकृतिक वस्तुएँ, जीव–जन्तु और मानव परमात्मा द्वारा निर्मित हैं। परमात्मा की सबसे अनुपम और महान कृति मानव के द्वारा भाषा का निर्माण किया गया है। भाषा के निर्माण और विकास की कहानी अपने आप में एक लम्बा संघर्ष संजोए हुए है। मनुष्य के ज्ञान का प्रमुख साधन भाषा ही है। भाषा (अभिव्यक्ति) और (ग्राहता) की शक्ति ने सभ्यता और संस्कृति के विकास को सम्भव बनाया है। यदि कहा जाए कि मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की कहानी ने लिखी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

KNOWLEDGE IS VISION SUPREME
ज्ञानं चक्षुर्मनुष्याणाम

भाषा का अर्थ

समस्त प्राणी जगत् में केवल मनुष्य को ही नामक अद्भुत वरदान प्राप्त है। भाषा आज भी वैज्ञानिकों के लिएरहस्य का विषय बना हुआ है। भाषा ने मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर किया है। भाषा विचारों और भावों के आदान–प्रदान का सर्वोत्तम साधन है। एक विद्वान् ने यहाँ तक कहा है कि मनुष्य की सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में भाषा इतनी सहायक होती है कि भाषा की कहानी को सभ्यता की कहानी कह दिया जाता है। मनुष्य के हृदय रूपी सागर में उठने वाली भावों रूपी लहरों की अभिव्यक्ति का सुन्दर एवं सरलतम साधन है। भाषा शब्द धातु से बना है जिसका अर्थ है । अतः भाषा में बोलना समाहित है। समीपस्थ लोगों से बोलकर भाव–विचार प्रकट किए जा सकते हैं। चाहे दूरस्थ व्यक्तियों के लिए बोलकर भी विचार प्रकट किए जा सकते हैं, पर समीपस्थ और दूरस्थ दोनों के लिए या जीवन में बहुत से कार्य सिद्धि हेतु लिख कर विचार प्रकट करने की आवश्यकता बनी रहती है।

अतः स्पष्ट है कि भाषा में बोलने और लिखने के रूप समाहित है। इसलिए का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है-

1. व्यापक अर्थों में।

2. संकुचित अर्थों में

1.**<u>व्यापक अर्थों में</u>** : व्यापक अर्थ में भाषा वे सभी साधन हैं, जिन्हें मनुष्य सामाजिक विचार–विनिमय के

लिए प्रयुक्त करता है। यह विचार–विनिमय बोलकर लिखकर हाथ, नाक, उँगली, आँख के इशारे से और

कभी–कभी झंडियाँ दिखाने और सीटी बजाने से भी होता है एवं त्यौरी चढ़ाने, मुस्कराने तथा मुख की भाव

भंगिमा से भी प्रकट किया जाता है।

2. संकुचित अर्थों में भाषा के संकुचित अर्थ के अनुसार केवल सभ्य जातियों द्वारा बोलकर और लिखकर

विचारों को प्रकट करने के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है।

<u>भाषा की परिभाषा</u>

कुछ भाषा वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाएँ है

स्वीट के अनुसार, ध्वन्यात्मक (ध्वनि से शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।

क्रोंचे के अनुसार, भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है।

सुकुमार सेन के अनुसार, अर्थवान् कण्ठोदीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। पतंजलि मुनि के अनुसार, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक एवं व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं से भाषा के दो रूप उभर कर सामने आते हैं

1. ध्वनि रूप।

2 लिपि रूप।

प्राचीन काल से ही भाषा का ध्वन्यात्मक रूप प्रधान है और लिपि रूप बाद में अस्तित्व में आया। प्राचीन समय में गुरुओं द्वारा विद्यार्थियों को ध्वन्यात्मक रूप अर्थात मौखिक रूप में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्तमान समय में भी हम प्रतिदिन के व्यवहार में जितना भाषा के ध्वनि रूप का प्रयोग करते हैं उतना उसके लिपि रूप को नहीं। भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की चेरी बनती हुई ध्वनि या लिपि के माध्यम से विचारों और भावों की संवाहिका है। ध्वनि रूप का प्रयोग एक–दूसरे से वार्तालाप करते समय, भाषण देते समय और पढ़ाते समय किया जाता है। परंतु कार्यालयों में, व्यापार में और दूर स्थित लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए लिपि रूप की ही आवश्यकता पड़ती है।

भाषा की प्रकृति व महत्ता

भाषा के स्वरूप से भाषा की प्रकृति का आभास मिल जाता है। वास्तव में पथ के स्वाभाविक व प्राकृतिक गुण हैं वही भाषा की विशेषता अथवा महत्ता भी हैं। भाषा की यह प्रकृति है कि वह अर्जित सम्पत्ति है और यह उसकी विशेषता भी है कि इसे अनुकरण द्वारा अर्जित किया जा सकता है। भाषा किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं, इसलिए भाषा की प्रकृति व महत्ता पर एक साथ विचार कर लेना अधिक समीचीन होगा ।

1.**<u>भाषा आनुवंशिक नहीं अर्जित सम्पत्ति है</u>**–बालक को भाषा, वंश से पै रूप में प्राप्त नहीं होती। वह जिस भी समुदाय में पैदा होता है उसी की भाषा काभाषा अर्थ, रूप एवं प्रकृति करता है। यदि उसे मानव समुदाय से अलग रखा जाए तो वह कोई भी भाषा नहीं सीख सकता। परिवार व समाज में रहकर बालक अनुकरण के माध्यम से सहज ही भाषा सीख जाता है।

2.**<u>भाषा एक व्यवस्था है</u>**–भाषा की संरचना व विधायक तत्त्वों से ज्ञात होता है कि भाषा एक व्यवस्था है। ध्वनि, स्वर, व्यंजन ध्वनि व शब्द के सहयोग से उच्चरित रूप में मौखिक भाषा, तत्पश्चात् लिखित भाषा के रूप में अस्तित्व में आती है। जैसे ध्वनि, स्वर, व्यंजन शब्द का पृथक–पृथक रूप से कोई अर्थ नहीं होता।

परन्तु जब यह व्यवस्थित रूप से वाक्य संरचना व अनुच्छेदों में व्यक्त की जाती है तो उनका कोई अर्थ होता है। ध्यनि, शब्द, वाक्यांश अनुच्छेद प्रसंग विशेष का वर्णन इन्ही द्वारा भाषा की संरचना होती है। भाषा को व्यवस्थाओं की व्यवस्था भी कहा जाता है। भाषा शिक्षण में भाषा व्यवस्था के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए अन्यथा भाषा की कुशलता प्राप्त नहीं हो पाती भाषा का व्यवस्थित रूप भाषा की प्रकृति के साथ विशेषता भी है।

3**. <u>भाषा एक अनुकरणीय प्रक्रिया है</u>**–अरस्तु के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा स्वाभाविक गुण

है। भाषा भी अनुकरणीय प्रक्रिया है। बच्चा अपने माता–पिता व घर के अन्य सदस्यों से भाषा व्यवहार

सुनकर उनका अनुकरण करता है। अक्सर घर के सदस्य बच्चे से लाड़ प्यार में भाषा को बिगाड़ कर बोलते हैं, जैसे रोटी को सोटी खाएगा, पानी को मम पियेगा आदि कहते हैं। बच्चे इस प्रकार भाषा के उस बिगड़े हुए रूप का अनुकरण प्रारम्भ कर देते हैं। भाषा स्वभावतः अनुकरणीय है अतः इससे अधिक भाषाएँ सीख सकते हैं लेकिन सीखने सिखाने में विशेष ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि जैसा अनुकरण होगा वैसी भाषा सीखी जाएगी।

4. **<u>भाषा सतत् परिवर्तनशील प्रक्रिया</u>** -भाषा अनुकरणशील है इसीलिए यह परिवर्तनशील प्रक्रिया है। व्यक्तिगत भिन्नताओं द्वारा अनुकरण में भिन्नता आना स्वाभाविक है। अनुकरण के अतिरिक्त भाषा में परिवर्तन के और भी कई कारण हैं जैसे अन्य भाषा–भाषियों से सम्पर्क, प्रादेशिक प्रभाव, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि प्रभावों से भी भाषा में धीरे–धीरे परिवर्तन होता रहता है जिसका तत्काल आभास नहीं होता।

5.**<u>भाषा में एकरूपता का अभाव</u>**-यदि भाषा स्वभावतः परिवर्तनशील है तो उसमें एकरूपता नहीं हो सकती

अर्थात् उसका कोई अन्तिम रूप नहीं भाषा की यह विशेषता ही उसे विकासक्रम में दिशा प्रदान कर रही है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा भारतीय भाषाओं का क्रमिक विकास इस बात का परिचायक है कि भाषा सतत् उन्नति की ओर अग्रसर है। यह सरिता की तरह प्रवाहशील है।

6.<u>भाषा मूलतः मौखिक अभिव्यक्ति</u>-भाषा का प्रारम्भिक रूप मौखिक था। धीरे–धीरे सभ्यता संस्कृति के विकास ने भाषा को लिखित रूप प्रदान किया। बालक जब भाषा का अनुकरण करता है तो वह पहले मौखिक अभिव्यक्ति सीखता है। बाद में लिपि का ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वप्रथम भाषा के उच्चरित रूप को सीखने की व्यवस्था है जो उचित भी है।

7. <u>भाषा प्रतीकात्मक व्यवस्था</u> मनुष्य परस्पर विचार–विनिमय के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का निर्माण शब्दों से होता है और ये शब्द किसी भाव, विचार, पदार्थ आदि के प्रतीक है। वास्तव में ये प्रतीक व ध्वन्यात्मक संकेत किसी भाव विचार अ मकरण हैं जिनको व्यवस्थित कर मनुष्य अभिव्यक्ति करता है।

8. <u>संरचनात्मक भिन्नता</u>- प्रत्येक भाषा की मौखिक तथा लिखित संरचना दूसरी -भिन्न होती है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि दृष्टियों से प्रत्येक भाषा की –सरी से भिन्न होती है। संरचना में भिन्नता भाषा की प्रकृति भी है और महता भी।

9. **<u>भाषा सामाजिक प्रक्रिया</u>** भाषा का उद्भव व विकास समाज में ही हुआ है। व्यक्ति माज में रहकर भाषा सीखता है और समाज की उन्नति भी भाषा द्वारा संभव हुई है माज का प्रत्येक क्रियाकलाप भाषा द्वारा सम्पन्न होता है। अतः भाषा समाज सापेक्ष है द्यन्त समाज की वस्तु है। बेन जॉनसन के अनुसार भाषा समाज का साधन मात्र है और माज ही भाषा को आधार प्रदान करता है।

10. <u>भाषा का मानक रूप</u> एक ही भाषा जब विभिन्न स्थानों पर बोली जाती है उसमें अनेक विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, जैसे हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है लेकिन विभिन्न उसकी ध्वनियों के उच्चारण, शब्द, वाक्य व

रूप रचनाओं में अन्तर पाया जाता है। किन्तु कर भी इसका एक मानक रूप है जिसका प्रयोग किसी भी तरह के प्रादेशिक व अन्य प्रभ बचाकर इसके शिक्षण में किया जाता है। यह भाषा का स्वभाव भी है तथा अभिलक्षण भी ।

11. <u>भाषा विचार-विनिमय का एक मात्र सर्वोत्तम साधन</u>–समाज के प्रत्येक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल, समाज, व्यापार, व्यवसाय आदि में भाषा ही विचार विनिमय का एक मात्र बाघन है जिसके द्वारा बोलकर अथवा लिखकर प्रत्येक कार्य चलता है। भाषा के अभाव से व्यक्ति निरक्षर होता है जिसे अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तथा पराधीन रहना पड़ता है।

12. <u>भाषा साक्षरता का पर्यायी</u> भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। विभिन्न विषय से इतिहास, भूगोल, हिसाब, विज्ञान आदि का ज्ञान भाषा द्वारा ही संभव है। स्वतः भाषा का ज्ञान भी भाषा द्वारा होता है। इसके अभाव में व्यक्ति अनुपढ़ रहता है। अतः भाषा विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करती है। भाषा को साक्षरता का पर्यायी माना जा सकता है।

13. <u>भाषा द्वारा ज्ञान का संरक्षण</u>- भाषा ज्ञान प्रदान तो करती है साथ ही उसका संरक्षण करना भी उसकी प्राकृतिक विशेषता है। भाषा के लिखित रूप द्वारा ज्ञान का संरक्षण ता है। जब से लिपि का सृजन हुआ तब से आज तक सभी क्षेत्रों का ज्ञान लिखित भाषा द्वारा सुरक्षित है। अतः किसी अन्य साधन में ऐसी क्षमता नहीं।

14. <u>भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर</u> भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएँ (ग्रीक, लेटिन, संस्कृत, अवेस्ता आदि) संयोगात्मक थीं जिसमें अलग से सहायक सम्बन्ध सत्य यानि सहायक क्रिया तथा परसर्ग आदि नहीं थे बल्कि शब्द में ही लगे रहते थे, उदाहरणार्थ–सः गच्छति = वह जाता है। शब्द है यहाँ गच्छति में ही है किन्तु अब उसे अलग से (जाता है) लगाने की आवश्यकता पड़ गई है।इस प्रकार भारोपीय

परिवार की अधिक भाषाएँ आधुनिक काल में वियोगात्मक हो गई हैं। पहले उसकी विभक्तियाँ धीरे–धीरे लुप्त प्राय हो गई।

15.**<u>भाषा प्रकृत रूप से कठिनता से सरलता की ओर</u>** भाषाओं के विकास क्रम को देखें तो ज्ञात होता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। मनुष्य स्वभाव से ही कम परिश्रम से अधिक प्राप्त करना चाहता है। भाषा के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों मैं यह सरलता परिलक्षित होती है। मुहावरे लोकोक्तियों का प्रचलन इसी आशय को प्रकट करता है। इसी प्रयत्न लाघव के कारण राजेन्द्र को रजिन्दर और फिर राजू को राज कहा जाता है। भाषा के विकास में यह सरलता ध्वनियों के उच्चारण, शब्द एवं पद रचना, अव्यंजना आदि सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। पुरानी भाषाओं में रूपों और अपवादों की अधिकता थी किन्तु आधुनिक भाषाएँ इसके विपरीत इनसे मुक्त होती जा रही हैं।

16. <u>भाषा का स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास</u>–भाषा अपने विकास क्रम की प्रारम्भिक अवस्था में स्थूल वस्तुओं की परिचायक रही है पर उत्तरोत्तर घटनाओं, भावों व विचारों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति में भी सक्षम होती गई। इसका कारण उसके शब्द भण्डार में निरन्तर वृद्धि है। भाषा शिक्षण में भी भाषा की इस प्रकृति का अनुसरण किया जाता है। बालक का प्रारम्भिक अवस्था में शब्द भण्डार इतना विकसित नहीं होता जिससे वह सूक्ष्म भावों व विचारों को अभिव्यक्त कर सके। तदोपरान्त अभ्यास द्वारा परिपक्वता आने पर वह सूक्ष्म अभिव्यक्ति में दक्ष होता है।

17. **<u>भाषा की भौगोलिक सीमा</u>-** प्रत्येक भाषा का अपना क्षेत्र होता है जहाँ वह विकसित होती है। अपनी सीमा से बाहर उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे पंजाबी भाषा यदि पंजाब से बाहर बोली व सुनी जाए तो वह शुद्ध पंजाबी नहीं होगी। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा है जिससे बाहर भिन्न भाषा की सीमा शुरू हो जाती है।

18. <u>भाषा की ऐतिहासिक सीमा</u>-भाषा निरन्तर प्रवाहशील व परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भौगोलिक सीमा की

भाँति भएक की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। प्रत्येक भाषा का अपना एक निश्चित काल होता है। आधुनिक काल में किसी भी भाषा का स्वरूप वैसा नहीं है जो आदि तथा मध्य काल में था। अतः भाषा अपने काल की परवर्ती या पूर्ववर्ती भाषा से भिन्न होती है।

19. <u>भाषा द्वारा सभ्यता व संस्कृति की प्रेषणीयता</u> – भाषा जिस भी भौगोलिक य ऐतिहासिक सीमा से सम्बन्ध रखती है, वहाँ का दिग्दर्शन कराती है तथा उससे प्रभावित भी होती है। संस्कृति के साथ–साथ उसके एक अंग रूप में भाषा सीखी जाती है। इसे सभ्यता की चितेरी भी कहा गया है।

20**. <u>भाषा समूचे व्यक्तित्व के विकास का साधन</u>** रायबर्न के अनुसार भाषा–ज्ञान के बिना बौद्धिक विकास, ज्ञान–वृद्धि आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास असम्भव है।मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व के अन्तर्गत उसका शारीरिक, मानसिक भावात्मक नैतिक, सामाजिक विकास सम्मिलित है। भाषा के बिना इन पक्षों के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इन सबका समुचित विकास व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाता है।

21. <u>भाषा द्वारा सृजनात्मकता का विकास</u>- भाषा के शब्द व रूप सीमित होते हैं, भाषा निरन्तर गतिशील है किन्तु उन्हीं के द्वारा विभिन्न वाक्यों का सृजन करके आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग भाषा की प्रकृति व महत्ता को दर्शाता है। सृजनात्मक शक्तियाँ मनुष्य में जन्मजात होती है। सृजनात्मकता भाषा का भी स्वाभाविक गुण है। भाषा के सीमित शब्दों व रूपों के हेर–फेर से सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति होती है। मानव भाषा में ही यह अभिलक्षण पाया जाता है।

22. <u>भाषा राष्ट्रीय एकता व अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना की प्रतीक</u> भाषा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव जागृत करती है। किसी जन समुदाय की पहचान उसकी भाषा से जानी जाती है तथा उसे भाषा के ज्ञान से ही पुकारा जाता है जैसे पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली आदि। देश के विभिन्न

प्रान्तों को मिलाने वाली एक राष्ट्रीय भाषा होती है जो राष्ट्रीय एकता की योतक है। राष्ट्रीय भाषा की तरह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी होती है जो विश्व बन्धुत्व की भावना पैदा करती है। समूची मानव जाति के प्रति सद्भावना विकसित करती है। अंग्रेजी हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है जो इसी बात का प्रतीक है।

23. <u>भाषा मनोरंजन का साधन</u>–भाषा के माध्यम से हम अपनी रुचि के अनुसार विषय पढ़ते हैं जिससे हम आत्मिक संतोष का अनुभव करते हैं। खाली समय का सदुपयोग हम मनोरंजक विषयों को पढ़कर तथा अपनी मौलिक रचनाओं के लेखन के माध्यम से कर सकते हैं। अतः भाषा मनोरंजन का सशक्त साधन है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भाषा स्वभावतः अपने में गुण संजोए हुए है। इसका ज्ञान असंख्य भाषा अध्यापकों के लिए अनिवार्य हैं |

<u>भाषा का महत्त्व समाज के सन्दर्भ में</u>

मानव को ईश्वर ने सबसे महत्त्वपूर्ण वरदान चिंतन–शक्ति और भाषा दिए हैं। भाषा का मनुष्य के साथ

अटूट सम्बन्ध है। मनुष्य के जीवन में इसका बहुत अधिक महत्त्व है। मनुष्य के व्यतित्व का कोई रूप ऐसा नहीं जहाँ भाषा की पहुँच न हो। मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में भाषी का इतना हाथ है कि आज की कहानी को सभ्यता की कहानी कहा जाता है। मानव व्यक्तित्व की शक्तिशालीनता भाषा के उचित एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग पर ही निर्भर है। भाषा के अभाव में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन एक अभिशाप मन जाता है क्योंकि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करता है और भावनाओं को प्रदर्शित करता है। परिवार स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक के सभी कार्य भाषा के माध्यम से ही सम्पन्न किए जाते है। पं. सीताराम चतुर्वेदी का यह कथन किसना सार्थक है भाषा के विभाव उत्पन्न) से सारा मानव संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया मानव जीवन में भाषा का महत्त्व निम्न तथ्यों से आँका जा सकता है –

1. <u>भावों और विचारों को सुरक्षित रखने का साधन</u> : जीवन में भाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं भावनाओं को तथा दूसरों के विचारों और भावनाओं को लिखकर सुरक्षित कर सकते हैं। इससे यह विचार और भावनाएँ भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। भाषा के द्वारा ही साहित्य संस्कृति और सभ्यता, मान्यताओं का संरक्षण सम्भव है। सामाजिक जीवन के विकास के लिए साहित्य का शिक्षण आवश्यक होता है। संस्कृति का पोषण, सभ्यता का विकास ये सभी कार्य भाषा के द्वारा ही संभव है।

2. <u>व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक अभिव्यंजना</u>: विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति से व्यक्तित्व का विकास होता है। भाषा ही अभिव्यक्ति का अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन है। वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास भाषा के प्रभावशाली प्रयोग पर ही निर्भर है। भाषा से ही व्यक्ति का सर्वोतन्मुखी विकास संभव है और इसी के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपना चिंतन प्रकट कर अपने व्यक्तित्व की अभिव्यंजना करता है।

3. <u>ज्ञान प्राप्ति का साधन</u> पूरा समाज ज्ञान से भरा पड़ा है और ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भाषा के द्वारा ही प्राचीन ज्ञान शास्त्रों के रूप में सुरक्षित है। आज जितना भी सामान्य और प्राकृतिक ज्ञान है वह भाषा के द्वारा ही सुरक्षित रखा जा सका है। भाषा के लिपिबद्ध रूप में सुरक्षित ज्ञान भंडार ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है। भाषा के माध्यम से ही किसी भी देश और भाषा के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन संभव हो सकता है। जितना व्यक्ति ज्ञानवान होगा उतना ही समाज में सम्मानीय होगा।

4. <u>संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं विकास में सहायक</u> : एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना

आवश्यक है। अपनी–अपनी संस्कृति को सम्भालना अति आवश्यक है क्योंकि संस्कृति समाज, जाति,

राष्ट्र विशेष की पहचान होती है। संस्कृति का संरक्षण केवल भाषा के द्वारा ही संभव है ताकि आने वाली

पीढ़ियों इसका अनुकरण कर सके। विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों के अध्ययन से आदान–प्रदान के माध्यम से संस्कृति का विकास सम्भव है। इस विकास की अभिप्रेरक भी भाषा ही है समाज की जीवतंता के लिए संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं विकास अत्यन्त आवश्यक है।

5. <u>राष्ट्रीय एकता का सूत्र</u> राष्ट्र की एकता किसी समाज का प्राण है और भाषा जनसामान्य के बीच विचारों के आदान–प्रदान विचार–विनिमय का सशक्त एवं सार्थक साधन होती है, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को निकट लाकर एकता के सूत्र में बाँधती है। प्रत्येक देश की भाषा उसकी सभ्यता और संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती है। भाषा ही राष्ट्रीय एकता को मजबूत आधार प्रदान करती है। भाषा के द्वारा व्यक्ति एकत्व महसूस करता है। एक सामाजिक वर्ग का निर्माण अधिकांशतः भाषा के आधार पर होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो, चाहे वह शिक्षित या अशिक्षित है यदि वह चीन का रहने वाला है तो उसे भाषा के आधार पर चीनी कहेंगे। चीनी अर्थात् भाषा समाज के नाम पर व्यक्ति पहचाना जा सकता है।

6. <u>अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में सहायक</u>: ऋषियों–मुनियों द्वारा दिया गया वसुधैव कुटुम्बकम्' के घौष का

महत्त्व है। यह हमारी संस्कृति का आधार है। सामाजिक, जातीय और राष्ट्रीय एकता के विकास के साथ–साथ भाषा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना में भी सहायक है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्भरता में बहुत अधिक वृद्धि की है। भाषा ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्भरता में वृद्धि की है। भाषा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने का सर्वशक्तिमान माध्यम है। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के अध्ययन और अध्यापन पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि इसको अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार की अधिकतर प्रयोग की भाषा माना जाने लगा है। संपूर्ण लोग एक दूसरे की भाषा

को पढ़कर, समझकर उसकी सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं जिससे मानव समाज में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर सम्बन्ध स्थापित होते हैं।

7. **<u>शिक्षित समाज और भाषा अन्योश्रित</u>** समाज में शिक्षित होकर जीना एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ज्ञान प्राप्ति के साधन भी विकसित होने लगे हैं आधुनिक आवषिकारों ने ज्ञान प्राप्ति की सीमाओं से आगे लांघने का प्रयत्न किया है। चाहे ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति का प्राकृतिक स्रोत है, परंतु इनका ज्ञान सीमित होता है। इसलिए मनुष्य कुछ नए साधनों का भी प्रयोग करता है। इनमें से मूल साधन भाषा है। भाषा के बिना शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं। अतः भाषा का अध्ययन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जैसे भाषा और समाज अन्योश्रित है। वैसे भाषा और शिक्षा भी।

8. **<u>आनन्द और मनोरंजन का स्रोत</u>** हर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो कर आनन्द की तलाश में रहता है और समाज के लिए भाषा मनुष्य के मन को शांति और आनंद की अनुभूति का अहसास कराती है। साहित्य में मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों सुरक्षित रहती है और उसे आनन्द की प्राप्ति होती है तथा उसका मनोरंजन होता है। भाषा से ही आनन्द एवं सामाजिक विकास संभव है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारे लिए यह कहना अनुचित नहीं मनुष्य, समाज एवं राष्ट्र के लिए बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण तथा लाभप्रद है।